BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926

BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXXIV 13th February 2013 No. 2

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के साथ चैम्बर की बैठक

• निजी इंडस्ट्रीयल पार्क गठित करने में चैम्बर करे मदद • औद्योगिक इकाइयों को राज्य में उद्योग स्थापित करने में मिलेगा विभाग का पूरा सहयोग • बिजली संबंधी समस्या होगी दूर — श्री नवीन वर्मा

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बांयीं ओर क्रमशः उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा, बियाडा के प्रबंध निदेशक श्री दीपक कुमार सिंह एवं निदेशक उद्योग श्री शैलेश ठाकुर तथा दांयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

दिनांक 26 जनवरी 2013 को पूर्वाहन 11 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल द्वारा राष्ट्रध्वज फहरा कर 64वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 24 जनवरी 2013 को श्री नवीन वर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के साथ एक बैठक हुई। इस अवसर पर बियाडा के प्रबंध निदेशक श्री दीपक कुमार सिंह, निदेशक उद्योग श्री शैलेश ठाकुर सहित उद्योग विभाग के कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी०के० अग्रवाल ने की।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हम प्रधान सचिव के आभारी हैं कि हमारे सदस्यों के साथ बैठक हेतु हमारे अनुरोध पर अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर चैम्बर आये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने बियाड़ा के प्रबंध निदेशक श्री दीपक कुमार सिंह और उद्योग निदेशक श्री शैलेश ठाकुर का भी बैठक में आने के लिए आभार प्रकट किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि हमारी तमन्ना थी कि प्रधान सचिव चैम्बर में आयें, हमारे सदस्यों की समस्याओं को सुने। प्रधान सचिव जी काफी ऊर्जावान व्यक्ति हैं। इनके गुणों से हम परिचित हैं। इनके लगन को हमने देखा है। चाहे स्टेट प्रोमोशन बोर्ड हो, पी.एम.सी. की बैठक हो, कोई सब्सीडी देने की बात हो, जो इनके मातहत होती है। वास्तव में इनके दिल में ललक है, जज्बा है कि किस तरह से उद्योग यहाँ आये, क्यों उयोग नहीं लग रहे हैं, क्या समस्या है, इन सब पर पूरा ध्यान रखते हैं। हमारी बातों पर गौर कर यथासंभव प्रमुखता एवं प्राथमिकता देते हैं।

बियाडा के प्रबंध निदेशक श्री दीपक कुमार सिंह के कार्यों की प्रशंसा करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि इनका निर्णय काफी न्यायोचित होता है। इनकी भी कोशिश रहती है कि सूबे में उद्योग स्थापित हों। इनकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम होगा।

उद्योग निदेशक श्री शैलेश ठाकुर जी भी हमारी समस्याओं को काफी ध्यान से सुनते हैं और जो निचोड़ है, वह निकाल लेते हैं। इनका कार्य भी प्रशंसनीय है।

चैम्बर के उद्योग उप-समिति के चेयरमैन श्री सुभाष परवारी ने विस्तृत ज्ञापन समर्पित करते हुए उद्यमियों को हो रही कठिनाइयों की ओर प्रधान सचिव का ध्यान आकृष्ट किया। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल की बात का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधान सचिव का जो व्यवहार है वह एक Entrepreneure का है। ये हमारे तरफ से उद्योग के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होने कहा कि clarification कमीटी में चैम्बर को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड मनमानी कर रहा है। वैट रिइम्बर्समेंट 2012-13 के लिए उन्होंने 500 करोड़ मांगने का सुझाव दिया।

चैम्बर सदस्य श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने री-इम्बर्समेंट का मुद्दा उठाया। सिंगल विण्डो के बारे में कहा कि जैसा सोचा था वैसा नहीं है। नई इकाई के निबंधन में 6 महीने लग जाते हैं।

जेवीएलएग्रो के श्री डी० एन० झुनझुनवाला ने चावल मिल की समस्याओं सहित अन्य मुद्दों पर प्रधान सचिव का ध्यान आकृष्ट किया।

चैम्बर सदस्य श्री बी० आर० टहलानी ने कहा कि लीज डीड मे स्टांप ड्यूटी नहीं लगती है। रजिस्ट्रार के यहाँ ऐसी जानकारी नहीं है। अत: इस संबंध में वहाँ जानकारी उपलब्ध करायी जाय। इसके अतिरिक्त री-इम्बर्समेंट के सरलीकरण एवं यांत्रिकृत आइसफ्रूट और आइसकैंडी को वंचित सूची से अलग करने का अनुरोध किया।

श्री सुबोध गोयल ने कहा कि अब सभी जगह online काम हो रहा है। अत: सिंगल विण्डो में भी काम ऑन लाइन किया जाय।

सदस्यों की समस्याओं और ज्ञापन में उठाए गये बिन्दुओं पर प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा ने कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि की कमी प्रमुख चुनौती है। इस चुनौती से निबटने के लिए महज सरकारी स्तर पर भूमि बैंक का गठन करना ही पर्याप्त पहल नहीं है। ऐसे में चैम्बर को निजी इंडस्ट्रीयल पार्क गठित करने के लिए एक उप समिति का गठन करना चाहिए। समिति की ओर से चिन्हित भूमि का विवरण विभाग को उपलब्ध कराने के उपरांत सरकार की ओर से उपयुक्त अनुदान राशि मुहैया करायी जायेगी। साथ ही उस उद्योग में भूस्वामी को उनकी इच्छा के अनुरूप हिस्सेदारी भी उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रधान सचिव ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए "आओ बिहार योजना" बनायी गयी है। इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर के क्षेत्र में भी भारत सरकार ने एक नीति बनाई है, जो भारत के काफी कम राज्यों में है। टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग एक नया क्षेत्र है, उसमें क्या नीति बने इसके लिए उद्यमी सुझाव दें।

श्री वर्मा ने कहा कि पेट्रोलियम क्षेत्र में आयी मंदी के चलते विलम्ब होने वाली हल्दिया-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जायगा। इसके तहत गैस में बिहार की हिस्सेदारी और पर्याप्त आबंटन के लिए सरकारी स्तर पर किया गया प्रयास अंतिम चरण में है। इसके लिए गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड व उद्योग विभाग के बीच शीघ्र ही एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किया जायेगा। रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए कॉर्पस फंड तैयार हो रहा है। सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सिंगल विण्डो सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए काफी काम किया गया है। फिर भी अभी समस्यायें हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी उद्यमी को किसी भी विभाग से किसी प्रकार के clearance आदि के लिये कठिनाई हो रही हो तो उनसे उनके दूरभाष पर या email पर सम्पर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं ताकि वे उसका समाधान करा सकें। उन्होंने कहा कि क्लेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है उसमें चैम्बर के प्रतिनिधित्व के लिए सकारात्मक पहल हो रहा है।

श्री वर्मा ने कहा कि हम पहले से कुछ योजनाएं चला रहे हैं। मिशाल के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई निवेशक राज्य में फूड पार्क स्थापित करना चाहता है तो राज्य सरकार ने पहले से ही योजना बना रखी है। इसके तहत निवेशक को 20 फीसदी तक अनुदान मिलता है। साथ ही बैंक से ऋण हासिल कराने में भी राज्य सरकार उनकी मदद करती है।

बिहार सरकार ने होटलों को पर्यटन उद्योग में शामिल किया है। इसे प्रोत्साहित किया जायगा । उद्योगों को पहले से बिजली बोर्ड द्वारा MMG और AMG की जो सुविधा मिल रही थी उसे पुन: चालू कराने के लिए बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी को स्पष्ट निर्देश दिया जायेगा।

बियाडा के प्रबंध निदेशक श्री दीपक कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि वह जल्द ही एग्जिट और ट्रांसफर पॉलीसी बनाने जा रहे हैं। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। संभव है बोर्ड की बैठक में दोनों नीतियों को मंजूरी मिल जाये। उसके बाद जमीन वापस करने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को आसानी होगी। बियाडा के चार औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई, बिजली आदि में सुधार के लिए पहल किये जायेंगे। अन्य क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन, बिजली आदि की निरंतर देख-रेख हेतु निजी पहल करें। इसके लिए उद्यमी अपना एसोसियेशन बना कर यह कार्य अपने जिम्मे कर लें। इस पर जो खर्च आयेगा उसका भुगतान हम एसोसियेशन को कर देंगे।

उद्योग विभाग के निदेशक श्री शैलेश ठाकुर ने कहा कि निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में आये प्रस्तावों को ओपेन डोमेन में जारी किया जायगा। इसके साथ ही अनुदान की राशि ऑन लाइन ट्रेकिंग की व्यवस्था करने की योजना है।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया, उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, पूर्व महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका सहित चैम्बर के सदस्य तथा प्रेस एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने किया।

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के साथ 24 जनवरी 2013 को आयोजित बैठक में समर्पित ज्ञापन

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कार्यनीति की कंडिका (ix) के द्वारा राज्य सरकार ने अन्य कुछ उद्योगों के साथ निम्नलिखित उद्योगों को भी थ्रस्ट एरिया में रखा है ।
   - पर्यटन संबंधी उद्योग
   - सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
   - उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थान
   - इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग
   - वस्त्र उद्योग
   - उर्जा/गैर-पारम्परिक उर्जा

   इसी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 6 में यह संकल्प लिया गया है कि चिन्हित् थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जाएगा ।

   यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि थ्रस्ट एरिया में वैसे ही औद्योगिक प्रक्षेत्र चिन्हित किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन आज तक उपरोक्त थ्रस्ट एरिया के औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है । अतः प्रधान सचिव महोदय उद्योग विभाग से हमारा अनुरोध है कि इस विषय को प्रथमिकता के आधार पर लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें ।
2. ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, 2011 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट,पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियाँ होती हैं । विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है । इस मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो । इस सन्दर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निवेदन किया था, उन्होंने ने भी इस तरह की Clarification Committee का गठन कराने का कृपापूर्ण आश्वासन दिया है । अतः अनुरोध है कि इस दिशा में आप अपने स्तर से भी पहल कराने की कृपा करें ।
3. समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना :
   उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्वाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है । हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योग हेतु बिजली की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें । कमी से निपटने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करना चाहिए ।
4. राज्य की उर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही

उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

5. पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को **MMG/AMG** से छूट :
बिहार सरकार ने सभी प्रकार के होटलों को पर्यटन उद्योग में सम्मिलित किया है तथा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और तदनुरूप औद्योगिक नीति 2006 के अन्तर्गत मिलने वाले सभी प्रोत्साहनों के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन का पात्र बनाया है । परन्तु दुर्भाग्यवश होटल उद्योग को विद्युत बोर्ड द्वारा MMG/AMG से अब तक छूट प्राप्त नहीं हो रही है । इस संबंध में चैम्बर ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपरोक्त छूट देने का आग्रह किया था परन्तु बोर्ड के वित्तीय नियंत्रक –I ने अपने पत्र संख्या 1007 दिनांक 25-4-2011 द्वारा चैम्बर को यह सलाह दी कि इस संबंध में उद्योग विभाग से सम्पुष्टि पत्र उपलब्ध कराया जाए । अतः हमारा निवेदन है कि उद्योग विभाग इस संबंध में विद्युत बोर्ड को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें ।

6. बियाडा से संबंधित मुद्दे :
(क) बियाडा द्वारा लीज डीड का एक नया प्रारूप बनाकर उसे सुझाव हेतु परिचालित किया गया था उस पर चैम्बर ने विभिन्न राज्यों में लागू लीज डीड मंगाई और बियाडा के प्रारूप के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बियाडा के लीज डीड के प्रारूप में विसंगतियाँ थी । तदुपरान्त चैम्बर ने बियाडा लीज डीड प्रारूप पर अपने सुझावों के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर विभाग को समर्पित किया है । अतः अनुरोध है कि हमारे उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा की जाए ।
(ख) अन्य राज्यों की तरह ही एक समय सीमा के बाद लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए ।

7. माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित मंत्री द्वारा गत वर्षों में उद्योग से संबंधित की गई बजटीय घोषणाओं को लागू कराया जाना चाहिए । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें निम्न हैं :–
(क) उद्योग हेतु कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त करना ।
(ख) उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर से प्रवेश कर को समाप्त करना इत्यादि ।

8. सामग्री–खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना :
राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू की । लेकिन नीति में निहित विसंगतियों के कारण राज्य की इकाइयाँ इसका लाभ नहीं उठा पायी । राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम –131 में कुछ संशोधन किया है । मगर इसका भी लाभ राज्य के औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिल पा रहा है । राज्य की स्थानीय इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीददारी में पारदर्शिता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें । हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे । अतः आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके ।

9. उद्योग के उपयोग हेतु भूमि बैंक के गठन का अनुरोध :
बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाइयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू–भाग की आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे बड़े भू–भाग की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–
– भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।
– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं इस्टेट्स की स्थापना द्वारा ।
– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।
– निजी औद्योगिक प्रांगणों को प्रमोट करने हेतु नीति बनायी जाए, औद्योगिक उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार भूमि को चिन्हित कर औद्योगिक विकास के लिए अधिसूचित करे ताकि भूस्वामी उक्त जमीन का उपयोग स्वयं के उद्योग के लिए अथवा किसी प्रमोटर के हाथ औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु बिक्रय कर सके ।

इसी सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में ‘‘आओ बिहार योजना’’ की घोषणा की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था।

भू–अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य के निवासियों को सूचित किया जाना है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक के स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग एवं संस्थान हेतु बेचना चाहते हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्योरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं । इसके पश्चात सरकार विज्ञापन के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में भूमि बिक्रय हेतु उपलब्ध है । यदि वे इच्छुक हों तो संबंधित भूधारी से सम्पर्क कर सकते हैं । ऐसी जमीन पर निवेश किये जाने पर औद्योगिक नीति के प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा । सरकार ने बियाडा को इस योजना हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया है इसे मूर्त्त रूप से कार्यान्वित कराया जाना चाहिए ।

10. हल्दिया – जगदीशपुर गैस पाईप लाइन में बिहार को गैस में हिस्सेदारी तथा पर्याप्त आवंटन हेतु प्रयास एवं एम.ओ.यू. किया जाय ।

11. उद्योगों के खिलाफ **FIR** दाखिल करने के दुरूपयोग के सम्बन्ध में :
ऐसा अनुभव किया गया है कि किसी कारखाने/औद्योगिक इकाई के बाहर, इकाई से 10 - 5 किलोमीटर दूर, कोई अप्रिय घटना उस इकाई से संबंधित किसी कामगार, ड्राईवर–खलासी, आपूर्तिकर्ता इत्यादि के साथ घटित होती है तो संबंधित स्थानीय थाना द्वारा ऐसी घटनाओं में येन–केन–प्रकरेण औद्योगिक इकाई के नाम को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे संबंधित इकाई बुरी तरह से परेशान होती है। अतः हमारा सुझाव है कि इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने हेतु कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे खान (Mines) में कोई घटना घटित होने पर डायरेक्टर माइन्स सेफटी के Report के बाद ही FIR पर कारवाई होती है। उसी तरह से फैक्ट्री के अन्दर घटना घटित होने पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर के Report के बाद FIR पर कारवाई हो तथा फैक्ट्री के बाहर घटना घटित होने पर, DSP के Supervision Report पर Superintendent of Police के Report II होने के बाद ही FIR पर कारवाई हो।

12. नये उद्योग लगाने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द द्वारा Project अनुमोदित होने के बाद भी उद्यमियों को विभिन्न विभागों का Clearance लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हमारा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि SIPB Approved Projects को Single Window पर सभी विभागों का Clearance प्राप्त हो जाये ।

13. उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि संबंधित उद्योगों को ऑन लाइन Credit करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही इसके लिए Right to Service Act के अन्तर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है ।

14. बिहार में Pre Stressed/Cast Concrete Pole (PSC/PCC Pole)बनाने की लगभग 40 फैक्ट्रीयाँ कार्यरत है लेकिन विद्युतीकरण का Contract बड़ी कम्पनियों को Turn Key basis पर दिया जाता है, जिनके द्वारा ही PSC/PCC Poles का क्रय किया जाता है । बिहार में PSC Pole की खरीद पर 13.5% टैक्स लगता है जबकि बिहार के बाहर से इसे मंगाने पर केवल 2% CST की कर देयता बनती है । इस प्रकार से बिहार में विनिर्मित PSC Pole बाहर की तुलना में 11.5% अधिक महंगा हो जाता है । इसके कारण PSC Pole के

निर्माण में लगी इकाइयाँ बुरी तरह से प्रभावित हो रही है । सरकार की घोषणा रही है कि बिहार की वैट दरों को पड़ोसी राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल के समान रखा जाए । PSC Pole पर बिहार में 13.5% वैट लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में इस पर वैट की दर 5% है । अतः अनुरोध है कि PSC Pole पर वैट को 13.5% के बदले 5% किया जाए जिससे कि ऐसे औद्योगिक इकाइयों को कुप्रभाव से बचाया जा सके ।

15. बिहार राज्य पावर होल्डिंग कारपोरेशन द्वारा **AMG/MMG** पुनः चार्ज करने के संबंध में :

महोदय, सचिव, बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 07-01-2013 के द्वारा सभी Field Officers को निर्देश दिया है कि AMG/MMG Charge करना प्रारम्भ करें, साथ ही उस पर DPS भी लगाएं क्योंकि बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन को सरकार से इस मद में पैसा प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार का आदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के एकदम खिलाफ जाता है ।

इस सन्दर्भ में हमारा अनुरोध है कि सरकार हर साल विद्युत बोर्ड को 2700 करोड़ दे रही है, अतः उसी पैसे में से AMG/MMG के पैसे का सामंजस्य करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि व्यवसायियों को परेशानी न हो ।

16. रुग्न इकाइयों का पुनर्वास :

सरकार ने औद्योगिक रुग्नता को औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग मानते हुए रुग्न इकाइयों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक नीति में प्रावधान किया है । औद्योगिक नीति में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि रुग्नता की पहचान एक समय सीमा के अन्दर कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा ।

रुग्नता की पहचान की समय सीमा क्या होगी, पुनर्वास पैकेज निर्धारण की अवधि क्या होगी तथा पुनर्वास पैकेज की न्यूनतम या अधिकतम दिये जानेवाली प्रोत्साहन सुविधा क्या होगी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है ।

अतः आवश्यक है कि उपरोक्त बिन्दु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ।

17. कैपटिव पावर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना पर मिलने वाले पूँजी अनुदान **(Capital Subsidy)** में विभाग द्वारा **Connected Load** के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान एवं प्रोत्साहन राशि के निर्धारण में केवल बेस मूल्य को ही गणना लिया जाना :

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति – 2006 की कंडिका– 2 (iv) में नई औद्योगिक इकाइयों को ''कैपटिव पावर जेनरेशन / डीजल जेनरेटिंग सेट'' पर किये गये पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान का प्रावधान किया गया है । नीति की कंडिका–2 (iv) निम्नवत है :–

''कैपटिव पावर जेनरेशन / डीजल जेनरेटिंग सेट के स्थापना में प्लांट एवं मशीनरी पर हुए व्यय की राशि का पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) उद्योग को अनुदान देय होगा । इसके लिए अधिसीमा निर्धारित नहीं की गई है । यह सुविधा इकाई के उत्पादन में आने के बाद देय होगी ।''

उपरोक्त प्रोत्साहन अनुदान को उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग द्वारा जो संकल्प निर्गत किया गया है उसके कंडिका–2(i) (क) के अनुसार :–

सीएसटी पर राजी हुए राज्य

लेकिन वस्तु एवं सेवा कर लागू होने पर संशय कायम

केंद्र और राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राह में खड़ी एक बड़ी बाधा आज पार कर डाली। दरअसल केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की भरपाई के फॉर्मूले पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति लगभग बन गई है। इसके बावजूद जीएसटी अगले वित्त वर्ष (2013-14) से शायद ही लागू हो सके।

राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की बैठक में यहां सीएसटी की भरपाई के फॉर्मूले पर राज्य एकराय तो हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी केंद्र के सामने रख दीं। अलबत्ता जीएसटी की रूपरेखा और ढांचे पर उनके बीच सहमति नहीं बन सकी।

इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक उप समिति ने सीएसटी की दर 4 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने के एवज में राज्यों को मुआवजा देने की बात सुझाई थी। उसकी सिफारिश थी कि 2010-11 में राज्यों को होने वाले कर नुकसान की 100 फीसदी भरपाई की जाए। 2011-12 में 75 फीसदी और 2012-13 में 50 फीसदी भरपाई करने की सिफारिश थी। इस तरह केंद्र को सीएसटी बकाये के तौर पर 34,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

(विस्तृत समाचार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 29.01.2013)

जिस्को ने ''जिस्को ड्यूरामेक्स 500D'' थर्मेक्स टीएमटी सरिया की लाँचिंग की

गंगोत्री आयरण एण्ड स्टील कम्पनी (जिस्को) ने दिनांक 27 जनवरी 2013 को पटना के होटल मौर्या में अपने अत्याधुनिक एवं उच्च तकनीक तथा गुणवत्ता वाले उत्पाद 'जिस्को ड्यूरामैक्स 500D' थर्मेक्स टीएमटी सरिया की लॉचिंग की। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल एवं उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कम्पनी के सीएमडी श्री संजीव चौधरी ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहा कि यह उत्पाद भूकम्प वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। श्री चौधरी ने बताया कि 2014 तक जिस्को ने 500 करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर डीलरों के लिए एक अनोखी योजना का भी शुभारम्भ किया गया।

चैम्बर ने बजट पूर्व ज्ञापन में केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय बजट 2013-14 हेतु केन्द्र सरकार को बजट पूर्व ज्ञापन भेजा है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम को आगामी केन्द्रीय बजट हेतु बजट पूर्व ज्ञापन समर्पित किया है जिसमें राज्य के त्वरित आर्थिक विकास से संबंधित अनेक सुझाव सम्मिलित हैं । साथ ही उक्त ज्ञापन में केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण देश के विभिन्न राज्यों में व्याप्त क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर करने के उपाय पर भी ध्यान देने का आग्रह किया गया है ।

उन्होंने कहा कि बिहार गत कई दशकों से केन्द्र सरकार की उपेक्षा का दंश झेलता आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप यह प्रान्त आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से पिछड़ता गया है। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि तमाम आर्थिक तंगियों के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार के बिहार के चहुमुखी विकास के दृढ़ निश्चय, इसके अथक एवं समर्पित प्रयासों का सुखद फल है कि बिहार आज एक विकासशील राज्य में परिवर्तित हो चुका है । केन्द्र सरकार के लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि तेजी से बदलते बिहार को अपनी संपूर्ण भागीदारी दे ।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार के सभी लोगों विशेषकर उद्यमियों एवं व्यवसायियों को केन्द्र सरकार से यह आशा है कि आगामी बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जायेगा क्योंकि बिहार को विकसित राज्य के समकक्ष लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना नितान्त आवश्यक है ।

उन्होंने कहा कि बिहार के उद्योगों पर ब्याज दर के भार को कम किया जाय । बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए ब्याज दरों में कम से कम 2% की कमी की जाए । विभाजन के बाद राज्य में बिजली का उत्पादन लगभग शुन्य हो गया है, अतः नये बिजली ताप घर के लिए कोयला की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र सरकार को इस तथ्य पर अवश्य ही ध्यान देना होगा कि झारखंड विभाजन के बाद शेष बिहार के पास प्राकृतिक खनिज संपदाओं का घोर अभाव हो गया है । साथ ही दुर्भाग्यवश इस कृषि प्रधान राज्य को लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ अथवा सुखाड़ की त्रासदि का सामना करना पड़ रहा है । ऐसी परिस्थिति में राज्य के समुचित विकास के साथ–साथ क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए आगामी बजट में बिहार को विशेष रियायतें प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है । दुर्भाग्यवश गत अनेक वर्षों के केन्द्रीय बजटों में बिहार को आवश्यकतानुरुप बजटीय आवंटन कभी नहीं दिया गया जिसके कारण राज्य में विकास बाधित रहा। अतः आगामी बजट में बिहार के लिए

पर्याप्त आवंटन किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

उन्होंने कहा कि चैम्बर के द्वारा प्रेषित बजट पूर्व ज्ञापन में राज्य के चहुमुखी विकास हेतु अनेक मांगें की गई जिसमें से कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :–

– राज्य में चीनी उद्योग, ताप विद्युत इकाईयों, कृषि आधिरित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इस्पात एवं इंजिनियरिंग इकाइयों, पर्यटन उद्योग व्यवसायिक एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों आदि के समुचित विकास हेतु केन्द्रीय बजट में पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाए ।

– बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के आलोक में राज्य की औद्योगिक इकाइयों को आयकर से पूर्ण छूट प्रदान की जाए । पूर्व में भी केन्द्र सरकार ने राज्य को जिलावार श्रेणी बनाकर उद्योगों को आयकर से छूट प्रदान की थी । प्रथम श्रेणी जिसमें राज्य के 14 जिले सम्मिलित थे को आयकर से पाँच वर्षों के लिए शतप्रतिशत छूट दी गई थी । उसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी जिसमें राज्य के 12 जिले शामिल थे उन्हें भी तीन वर्षों के लिए आयकर की धारा 80 1B (5) के अन्तर्गत 31 मार्च 2004 तक आयकर से शतप्रतिशत छूट दी गई थी । राज्य के बदलते औद्योगिक परिवेश में ऐसा प्रोत्साहन राज्य के त्वरित एवं समुचित औद्योगिक विकास के लिए नितान्त आवश्यक हो गया है । अतः इसे पुनर्बहाल किया जाए ।

– व्यक्तिगत एवं हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) हेतु आयकर से छूट की सीमा को 2 लाख से 3 लाख बढ़ाया जाना चाहिए तथा इन करदाताओं हेतु आयकर की दर में कमी की जानी चाहिए ।

– आयकर की धारा 10 (1) के अन्तर्गत कृषि से प्राप्त आय को कर से मुक्त रखा गया है परन्तु आयकर की एक स्कीम के तहत कृषि से प्राप्त आय के एक अंश को भी Non-agriculture income की श्रेणी में रखकर व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार, कृषकों के समूह आदि को भी Partially Integrated Taxation के दायरे में रखा गया है । जबकि फर्म अथवा कम्पनी की कृषि आय को आयकर से पूरी छूट प्राप्त है । क्योंकि बिहार में अधिकतर कृषक व्यक्तिगत अथवा HUF की श्रेणी में आते हैं अतः इन्हें भी आयकर से पूरी तरह छूट दिया जाए ।

अन्य सुझाव

– आयकर की धारा 44AA में खाता–बही रखने की अनिवार्यता के वर्तमान आय की सीमा को 1,20,000/- से 2,00,000/- किया जाय ।

– आयकर की धारा 40A(3) के वर्तमान नकद खर्च की सीमा को 20,000/- से बढ़ाकर 50,000/- किया जाय ।

– बच्चों के पढ़ाई की छूट के वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाय ।

– Conveyance Allowance की छूट के वर्तमान सीमा को रु0 800 से बढ़ाकर 3200 प्रतिमाह किया जाए ।

– धारा 17(2)(viii) में मेडिकल हेतु मिलने वाली छूट की वर्तमान सीमा 15000 से बढ़ाकर 50000 किया जाए ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
आम सूचना

खास महाल सहित सभी सरकारी भूमि के लीज–धारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 6/खा०म० नीति– 02 / 2008–441 (6) रा०, दिनांक – 07.04.2011 द्वारा बिहार खास महाल नीति, 2011 तथा विभागीय पत्रांक–6/खा०म० नीति 06/2012–1025 (6) रा०, दिनांक–29.10.2012 द्वारा बिहार खास महाल नीति, 2011 से सम्बन्धित निदेश परिचारित किया जा चुका है। इनकी प्रति विभागीय वेब–साइट– www.irc.bih.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।

खास महाल सहित सभी सरकारी भूमि के लीजधारी लीज नवीकरण हेतु अपना अभ्यावेदन सम्बन्धित समाहर्त्ता को समर्पित करें। अभ्यावेदन प्राप्त होने के नब्बे (90) दिनों के अन्दर समाहर्त्ता द्वारा बिहार खास महाल नीति, 2011 के तहत नियमानुसार उसका निष्पादन किया जाएगा।

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.01.2013)

CHAMBERS STEPS UP DEMAND FOR METRO RAIL IN PATNA

***STRONG PITCH** 'Proper emphasis must for early completion of key rail projects, including those at Harnaut, Madhepura, Chapra & Marhaura'*

With the railways Budget round the corner, Bihar Chamber of Commerce & Industries has stepped up its demand for expeditious completion of existing projects, increase in the frequency of important trains, emphasis on passenger safety and introduction of metro rail in the state capital to solve traffic congestion.

In a memorandum to the railway minister, Pawan Bansal, BCCI president, P. K. Agrawal said proper emphasis was needed for the expeditious completion of ten important rail projects, including the ones at Harnaut, Madhepura, Chapra and Marhaura, That would provide proper momentum to the realisation of aspirations for growth of the state and its all-round development.

The BCCI Memorandum said, these and other projects for the creation of dedicated eastern freight corridor, gauge conversion, electrification, construction of mega bridges were a matter of great satisfaction. "But, there should be proper encouragement for the establishment of ancillary units and preference should be extended to units qualifying on the quality parameter for catering to ,material requirement by these Projects. It will reduce the cost and help ancillary units to flourish around the projects," he said.

> "The completion of the pending schemes will give proper momentum to realisation of the aspirations for growth of the state and its all-round development."
> **P. K. AGRAWAL,** BCCI President

Chipping in to bolster state government's desire for the handover of the Digha- Patna rail line, the BCCI said, " The construction of a road in its place will significantly ease the traffic problem of the state capital."

The BCCI also pressed for the construction of third line for local trains between jhajha and Mughalsarai, a separate line between Biharsharif and Nawada, rail connectivity to Vaishali and a new railway station at Pawapuri.

The BCCI also made a strong pitch for the introduction of additional long distance fast running trains and increasing the frequency of existing weekly, bi-weekly and tri-weekly trains, originating from the state capital.

"We want a direct train between Patna-Hardwar via Faizabad, new Janshatabdi-like train between Patna-Howrah on Sunday, separate Garib Raths from Patna to Mumbai, Ranchi and Lucknow and Duranto trains between Patna and metros like Delhi, Mumbai and Pune " he said.

As for increased passenger safety, now that the railways has hiked fares the chamber demanded a thorough examination of all rail bridges, fitting of anti-collision devices on all important trains, deployment of adequate security personnel on running trains and introduction of satellite -based train tracking system for knowing the real time location, he maintained.

(Source : Hindustan Times Patna, 24.01.2013)

आयकर छापा : एक विस्तृत जानकारी

1. **आयकर छापा : एक विस्तृत जानकारी**

• आयकर छापे का तात्पर्य • आयकर छापे की वैधानिकता • बिन्दु जो तलाशी की आज्ञा प्रदान करने के आधार बनते हैं • कुछ मामलों में आयकर विभाग की प्रकल्पना–धारा 132 (4A) • पंचनामा–तलाशी के समय कर दाता के अधिकार एवं कर्त्तव्य • जब्त वस्तुओं का स्पष्टीकरण कैसे दें • छापे के बाद आयकर निर्धारण • सावधान रहें, छापे से बचें, कौन–कौन सी जानकारी/सूचना अपने व्यापारिक स्थान एवं आवास पर हर समय तैयार रखनी चाहिए ताकि छापे में कम से कम परेशानी होगी और मामला भी निपट जायेगा।

• आयकर फाइल के स्थानांतरण के लिए आवेदन

2. **प्रोजेक्ट रिपोर्ट : चांदी के वर्तन (Silver Vessels)**

उपर्युक्त की पूर्ण जानकारी हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें।

(साभार : टै०प०, जनवरी 2013)

वर्ष 2013-2014 के वार्षिक आय-व्यय के लिये माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 04.02.2013 को आयोजित बजट पूर्व विमर्श के लिये बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का ज्ञापन

उद्योग से सम्बन्धित मुद्दे

1. बजट में उद्योग विभाग का **Allotment** अधिक करने के सम्बन्ध में :
बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने की आवश्यकता है जिससे समय पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो सके । 2012-13 के बजट में उद्योगों के प्रोत्साहन राशि हेतु 300 करोड़ का तथा Food Processing के प्रोत्साहन के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन उद्योगों को प्रोत्साहन राशि का वितरण सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि Fund का अभाव हो गया है । इसलिए निवेदन करना है कि इस राशि को 2013-14 के बजट में कम से कम दूगना किया जाय ।
2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कंडिका 3 (iii) के अन्तर्गत निबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केन्द्रित कर एक प्रतिशत देय होने का प्रावधान 01.07.2011 से किया गया है लेकिन वाणिज्य-कर की अधिसूचना नहीं होने के कारण सूक्ष्म उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि MSME हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा S.O. 146 दिनांक- 12.10.2006 द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है ।
3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कंडिका 3(ii) (ख) के अन्तर्गत नई औद्योगिक ईकाईयों को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् विद्युत शुल्क में 7 (सात) वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्त्ति देने का प्रावधान किया गया है लेकिन इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा नोटिफिकेशन नहीं होने से यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है ।
4. गत बजटीय घोषणाओं को लागू करने के सम्बन्ध में :
माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित मंत्री द्वारा गत वर्षों में उद्योग से संबंधित जो घोषणायें की गई हैं उनमें से दो महत्वपूर्ण घोषणायें पूर्ण होने बाकी हैं जो निम्नवत हैं:-
(क) उद्योग हेतु कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त करना ।
(ख) उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर से प्रवेश कर को समाप्त करना इत्यादि ।
5. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कार्यनीति की कंडिका (ix) के द्वारा राज्य सरकार ने अन्य कुछ उद्योगों के साथ निम्नलिखित उद्योगों को भी थ्रस्ट एरिया में रखा है ।
   - पर्यटन संबंधी उद्योग
   - सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
   - उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थान
   - इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उद्योग
   - वस्त्र उद्योग
   - उर्जा / गैर-पारम्परिक उर्जा

   इसी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 6 में यह संकल्प लिया गया है कि चिन्हित् थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जाएगा ।
   यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि थ्रस्ट एरिया में वैसे ही औद्योगिक प्रक्षेत्र चिन्हित् किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन आज तक उपरोक्त थ्रस्ट एरिया के औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है ।
6. ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, 2011 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट,पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियाँ होती हैं । विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है । इस मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो ।
7. **PSC/PCC Poles** पर वैट दर कम कर इस उद्योग को बचाने के सम्बन्ध में:
बिहार में Pre Stressed/Cast Concrete Pole (PSC/PCC Pole)बनाने की लगभग 40 फैक्ट्रीयाँ कार्यरत है लेकिन विद्युतीकरण का Contract बड़ी कम्पनियों को Turn Key basis पर दिया जाता है, जिनके द्वारा ही PSC/PCC Poles का क्रय किया जाता है । बिहार में PSC Pole की खरीद पर13.5% टैक्स लगता है जबकि बिहार के बाहर से इसे मंगाने पर केवल 2% CST की कर देयता बनती है । इस प्रकार से बिहार में विनिर्मित PSC Pole बाहर की तुलना में 11.5% अधिक महंगा हो जाता है । इसके कारण PSC Pole के निर्माण में लगी इकाइयाँ बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं । सरकार की घोषणा रही है कि बिहार की वैट दरों को पड़ोसी राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल के समान रखा जाए । PSC Pole पर बिहार में 13.5% वैट लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में इस पर वैट की दर 5% है । अतः अनुरोध है कि PSC Pole पर वैट को 13.5%के बदले 5% किया जाए जिससे कि ऐसे औद्योगिक इकाइयों को कुप्रभाव से बचाया जा सके । इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहते हैं कि 5% कर करने के बाद भी इससे संबंधित उद्योगों को वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के उपरान्त भी अतिरिक्त वैट पेमेन्ट करना पड़ेगा क्योंकि Out put tax payable, Input tax credit से ज्यादा होगा । इससे संबंधित एक गणना विभाग को भी समर्पित की गई है जिसकी प्रति संलग्न है ।
8. आधुनिक प्रयोगशाला :
राज्य में आधुनिक प्रयोगशाला एक भी नहीं है फलस्वरूप आवश्यकता होने पर राज्य के बाहर प्रयोगशाला में खाद्य-सामग्री जाँच हेतु भेजना पड़ता है । अतः चैम्बर का सुझाव है कि राज्य में एक फूड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाए जहाँ प्रोसेसर द्वारा उचित कीमत पर अपने उत्पाद के सभी सूक्ष्म तत्वों की जाँच करायी जा सके ।
9. सामग्री-खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना :
राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नीति लागू है मगर इसका लाभ राज्य के औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिल पा रहा है । राज्य की स्थानीय इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीददारी में पारदर्शिता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें । हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे । अतः आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके ।
10. उद्योग के उपयोग हेतु भूमि के समुचित उपलब्धता का अनुरोध :
बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाइयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू-भाग की आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे बड़े भू-भाग की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :-
    - भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।
    - ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं इस्टेट्स की स्थापना द्वारा ।
    - बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन

करे ।

- निजी औद्योगिक प्रांगणों को प्रमोट करने हेतु नीति बनायी जाए, औद्योगिक उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार भूमि को चिन्हित कर औद्योगिक विकास के लिए अधिसूचित करे ताकि भूस्वामी उक्त जमीन का उपयोग स्वयं के उद्योग के लिए अथवा किसी प्रमोटर के हाथ औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु बिक्रय कर सकें ।

इसी सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में ''आओ बिहार योजना'' की घोषणा की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था ।

भू-अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य के निवासियों को सूचित किया जाना है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक के स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग एवं संस्थान हेतु बेचना चाहते हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्योरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं । इसके पश्चात सरकार विज्ञापन के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में भूमि बिक्रय हेतु उपलब्ध है । यदि वे इच्छुक हों तो संबंधित भूधारी से सम्पर्क कर सकते हैं । ऐसी जमीन पर निवेश किये जाने पर औद्योगिक नीति के प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा ।

11. **Single Window System** को कारगर करने हेतु :
नये उद्योग लगाने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द द्वारा Project अनुमोदित होने के बाद भी उद्यमियों को विभिन्न विभागों का Clearance लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हमारा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि SIPB Approved Projects को SingleWindowपर सभी विभागों का Clearance प्राप्त हो जाये ।

12. प्रोत्साहन / प्रतिपूर्ति राशि को **On Line Credit** करने के सम्बन्ध में :
उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि संबंधित उद्योगों को ऑन लाइन Credit करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही इसके लिए Right to Service Act के अन्तर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है ।

13. रूग्न इकाइयों का पुनर्वास :
सरकार ने औद्योगिक रूग्नता को औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग मानते हुए रूग्न इकाइयों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक नीति में प्रावधान किया है । औद्योगिक नीति में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि रूग्नता की पहचान एक समय सीमा के अन्दर कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा ।
रूग्नता की पहचान की समय सीमा क्या होगी, पुनर्वास पैकेज निर्धारण की अवधि क्या होगी तथा पुनर्वास पैकेज की न्यूनतम या अधिकतम दिये जानेवाली प्रोत्साहन सुविधा क्या होगी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है ।
अतः आवश्यक है कि उपरोक्त बिन्दु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ।

14. पूँजीगत अनुदान की देयता के लिये **Plant & Machinery** को परिभाषित किया जाना :
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 तथा 2011 में पूंजीगत अनुदान प्रोत्साहन सुविधा का प्रावधान है । पूंजीगत अनुदान औद्योगिक ईकाइयों का Plant & Machinery पर किये गये पूंजी निवेश पर निर्धारित किया जाना है । इसलिये इसकी परिभाषा इस प्रकार से की जानी चाहिये कि उद्योग को उत्पादन की स्थिति में लाने के लिये जिन-जिन वस्तुओं का उपयोग Plant & Machinery को स्थापित करने में किया जाता है, उन सभी को सम्मिलित किया जाय, यथा :-
"Plant and Machinery will mean and include all items machinery,equipments,components and apparatus (including Electrical Items, Tools, Dyes & molds) used in the process of production or providing service.

15. उद्योगों को **Compounding** की सुविधा :
छोटे व्यवसायियों जिनका वार्षिक सकल आवर्त्त 40 लाख रूपये तक है, को Compounding की सुविधा प्रदान की गई है और वे 10000/- रुपया वार्षिक कर का भुगतान कर अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर रहे हैं । औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जिनका कारोबार काफी छोटा और ऐसे उद्यमियों को भी कर भुगतान में सुविधा प्रदान कर इनका प्रोत्साहन किया जा सकता है ।
अतः चैम्बर का सुझाव है कि एक करोड़ तक के वार्षिक सकल आवर्त्त वाले उद्योगों के लिये 25000/- रूपये वार्षिक कर निर्धारित कर इन्हें भी Compounding की सुविधा प्रदान करने पर सरकार को विचार करना चाहिए ।

16. राज्य के सभी जिलों में उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में :
बिहार राज्य के पूर्ण एवं संतुलित विकास के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग का विकास ही एक मात्र एवं अहम मुद्दा राज्य सरकार के लिये होगा । जबतक राज्य के सभी जिलों में उद्योग के विकास की योजना नहीं बनेगी तबतक निवेशकों को आकर्षित करना कठिन होगा । हम सभी जानते हैं कि राज्य में उद्योग कुछ ही जिलों में सीमित है ।
हमारा सुझाव है कि इस बजट द्वारा वर्त्तमान परिदृश्य को बदलने के लिये श्शुरूआत की जानी चाहिये । राज्य के वैसे सभी जिलों में जहाँ भूमि की उपलब्धता हो MSME (Micro,Small & Medium Enterprises) का विकास किया जाय । प्राथमिकता उन जिलों को दी जानी चाहिये जहाँ पहले से उद्योग नहीं हैं । यह राज्य के विकास के लिये एक बड़ा कदम होगा । स्मरणीय है कि चैम्बर ने भी भारत सरकार के वित मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध किया है कि राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को पूर्व की भांति आयकर अधिनियम की धारा 80 1B (5) के अन्तर्गत 5 पाँच वर्षों एवं 3 तीन वर्षों के लिये आयकर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने की कृपा करें ।

विद्युत से सम्बन्धित मुद्दे

17. समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना :
उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्वाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योग हेतु बिजली की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने और कमी से निपटने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करने की अनुमति दी जाय ।

18. राज्य की उर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

19. बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कारपोरेशन द्वारा **AMG/MMG** पुनः चार्ज करने के संबंध में :
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत उद्योग को प्राप्त होने वाली सुविधा के प्रतिकूल सचिव, बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 07-01-2013 के द्वारा सभी सभी Field Officers को निर्देश दिया है कि AMG/MMG Charge करना प्रारम्भ करें, साथ ही उस पर DPS भी लगाएं क्योंकि बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन को सरकार से इस मद में पैसा प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार का आदेश सरकार के नीतियों के विपरीत है ।
इस सन्दर्भ में हमारा अनुरोध है कि सरकार हर साल विद्युत बोर्ड को 2700 करोड़ दे रही हैं, अतः उसी पैसे में से AMG/MMG के पैसे का सामंजस्य करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि उद्यमियों/व्यवसायियों को परेशानी न हो ।

20. पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को **MMG/AMG** से छूट :
बिहार सरकार ने सभी प्रकार के होटलों को पर्यटन उद्योग में सम्मिलित किया है तथा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और तदनुरूप औद्योगिक नीति 2006 के अन्तर्गत मिलनेवाले सभी प्रोत्साहनों के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन का पात्र बनाया है । अतएव होटल उद्योग को विद्युत बोर्ड द्वारा MMG/AMG से जो अब तक छूट प्राप्त नहीं हुई है उसे उद्योग विभाग से निदेशित कराकर विद्युत बोर्ड से वांछित छूट दिलायी जाए ।

21. बियाडा से संबंधित मुद्दे

(क) वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री –सह–वित मंत्री द्वारा घोषणा की गई कि बियाडा में अकार्यरत ईकाईयों को प्रदत्त भूमि के सम्बन्ध में नई Exit Policy एवं Transfer Policy लायी जायेगी और इसका सरलीकरण किया जायगा । इसी प्रकार लीज डीड में भी व्यापक सुधार किया जायेगा । उपरोक्त घोषणाओं को क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। अतएव इसे शीध्र क्रियान्वित कराया जाय ।

आवश्यक सूचना

फूड सिक्यूरिटी एण्ड स्टैंडर्ड एक्ट के अन्तर्गत निम्नलिखित दो आदेश निर्गत हुए हैं जो सदस्यों के सूचनार्थ उद्धत हैं :-

File No. : 03/1/2/2012/QAS/FSSAI
Food Safety and Standard Authority of India,
(Ministry of Health and Family Welfare)
Third & Fourth Floor, FDA Bhawan,
Kotla Road, New Delhi

ORDER

Dated 29th January 2013

In continuation of earlier extension of time period the proviso to regulation 1.1.2 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 through order issued vide F. No. 03/1/2/2012/QAS/FSSAI dated 24th July. 2012 the undersigned is directed to convey that the compliance by the Food Business Operator towards standards given in aforesaid regulations which are at variance with any of the provision of the license already granted is further extended for another six months or till further orders whichever is earlier.

This issue with approval of competent authority.

Sd/-
Col. C. R. Dalal
Director (Enf), FSSAI

F. No.: 1/1/Enf-1/FSSAI/2012
Food Safety and Standard Authority of India,
(Ministry of Health and Family Welfare)
FDA Bhawan, Kotla Road,
New Delhi-110002

5th February, 2013

STATUTORY ADVISORY

Subject : Extending time line upto 4th February, 2014 for the Food business Operators to obtain license / registration under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food business) Regulations, 2011.

In continuation of the statutory advisory dated 25.7.2012 issued by this Authority, it has been decided to extend the timeline to 4th February, 2014 for FBOs seeking conversion/renewal of their existing licenses and also for FBOs who have not obtained licences / registration under the new Act.

Sd/-
(Dr. A. Madhavan)
Assistant Director (Enf-I)
Phone No. : 011-23237435

To
All Food Safety Commissioners of States / UTs.

चैम्बर ने पूर्व अध्यक्ष स्व0 खेमचन्द चौधरी की पुण्य तिथि मनाई

स्व० चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय एवं श्री डी० पी० लोहिया एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष स्व0 खेमचन्द चौधरी की 38वीं पुण्य तिथि पर दिनांक14 जनवरी, 2013 को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर स्व0 चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी ।

अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने स्व0 खेमचन्द चौधरी जी को एक निर्भीक, स्पष्टवादी एवं दयावान व्यक्ति की संज्ञा दी । उन्होंने कहा कि वे व्यापार, उद्योग एवं समाज की प्रगति हेतु पूर्णरूपेण समर्पित थे । स्व0 चौधरी का आकस्मिक निधन उस वक्त हुआ जब वे 14 जनवरी, 1975 को पीड़ितों एवं जरूरत मंदों के बीच गर्म कपड़े एवं कम्बलों का वितरण करने हेतु सड़क मार्ग से दरभंगा जा रहे थे । रास्ते में कार–दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी । तब से लेकर आज तक हर वर्ष 14 जनवरी को उनकी पुण्य तिथि पर बैठक आयोजित कर चैम्बर सदस्य उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं । वे हमारे लिए प्रेरणा श्रोत थे । उनके बताए मार्ग पर हम चलें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने स्व0 चौधरी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन परोपकार, सच्चाई एवं सादगी में व्यतीत किया । उन्होंने कहा कि जीवन–मरण सभी के साथ होता है परन्तु स्व0 चौधरी जी ने जो बलिदान एवं त्याग समाज के लिए किया, वही सबसे बड़ी बात है । व्यापार जगत की बात सरकार सुने उसके लिए जोरदार प्रयास करते थे ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी0 पी0 लोहिया ने कहा कि वे मेरे पिता तुल्य थे, मुझे चैम्बर की सीढ़ियाँ बाबूजी (स्व0 चौधरीजी) ने ही चढ़ाई । चैम्बर के 47वें वार्षिकोत्सव में स्व0 चौधरी ने जिस निर्भीकता से भाषण दिया, वह देश के सभी अखबारों में छपा था । वह प्रति आज भी चैम्बर की लाइब्रेरी में रखी है ।

स्व0 चौधरी के पुत्र श्री आत्माराम चौधरी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि चैम्बर मेरे पिताश्री की 38वीं पुण्य तिथि मना रहा है, यह उनके प्रति चैम्बर का सर्वोच्च सम्मान का परिचायक है । मैंने उनके जीवन की कुछ प्रमुख बातों पर गौर किया है कि बड़े से बड़े कार्य में चाहे कितनी बाधा क्यों न हो, घबराना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास बनाये रखना चाहिए, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझनी चाहिए और हर सम्भव सहायता करनी चाहिए । उनके दिखाये रास्ते पर हम भी चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल खेतान, उपाध्यक्ष श्री शशिमोहन, महामंत्री श्री ए0के0पी0 सिन्हा, पूर्व उपाध्यक्ष श्री नन्हे कुमार, श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता एवं श्री ताज बहादुर सिंह जैन, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता सहित कई सदस्य उपस्थित थे ।

EDITORIAL BOARD
Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General
K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee
Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary
Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org